न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 123/2020
जीसीएमएस सं. – 2020/00141

प्रार्थी :
चन्द्राराम पुत्र रावतराम जाति जाट निवासी ग्राम बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. अर्जुनराम पुत्र घेंवरराम
2. गोकलराम पुत्र घेंवरराम
3. भंवरलाल पुत्र घेंवरराम
4. सुखी पत्नि घेंवरराम
5. ओमाराम पुत्र कचराराम
6. खियाराम पुत्र कचराराम
7. फुसाराम पुत्र कचराराम
8. समुदेवी पुत्री कचराराम
9. गोकलराम पुत्र लाबुराम
10. दुर्गाराम पुत्र लाबुराम
11. भंवरलाल पुत्र लाबुराम
12. बाया पुत्री लाबुराम
13. जिमनाई पुत्री लाबुराम
14. पानी पत्नि भागुराम
15. बगताराम पुत्र भागुराम
16. मांगीलाल पुत्र भागुराम
17. भगवानराम पुत्र किशनराम
18. मंगलाराम पुत्र किशनराम फौत के कायम मुकाम :–
    18/1 पानी पत्नि मंगलाराम
    18/2 रामनिवास पुत्र मंगलाराम
    18/3 संतोष पुत्री मंगलाराम पत्नि घेंवर

सभी जातियान जाट निवासीगण ग्राम बांकलिया, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

19. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।
20. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत बुचकलां तहसील पी शहर ।
21. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशन बैंक शाखा पीपाड़ शहर ।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मन्सुर अली छीपा, प्रार्थी की ओर से
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अप्रार्थी सं. 1 से 18

निर्णय

दिनांक : 25.01.2023

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थ कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बांकलिया पटवार क्ष बुचकलां तहसील पीपाड़ शहर की सरहद में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा न

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

337/1 रकबा 0.3721 हैक्टयर किस्म चाही द्वितीय स्थित हैं। हैक्टेयर किस्म चाही द्वितीय स्थित है । प्रार्थी की खातेदारी भूमि की उत्तरी दिशा की तरफ अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 339 रकबा 3.6890 हैक्टेयर व खसरा संख्या 340 रकबा 0.9708 हैक्टेयर स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के उत्तरी दिशा की ओर खसरा संख्या 341 किस्म गैर मुमकिन नाडी स्थित है तथा पूर्व दिशा की ओर खसरा संख्या 344 ग्राम पंचायत बुचकला के अधीन भूमियों के रूप में रास्ता स्थित है। प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 337/1 में अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 339 व खसरा संख्या 340 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुए खसरा संख्या 344 जो कि मौके पर रास्ते के रूप में चल रहा है से आता एवं जाता है तथा प्रार्थी अपना कृषि कार्य करता है तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उनके खसरा संख्या 339 व खसरा संख्या 340 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 344 व 341 के मुहाने तक 20 फिट चौड़े रास्ते की मांग की तथा दिनांक 25.02. 2020 को निवेदन भी किया कि प्रार्थी के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है इसलिए अप्रार्थीगण प्रार्थी को रास्ता देवे ताकि प्रार्थी अपने खेत में आ जा सके तथा प्रार्थी ने रास्ते के बदले मुआवजा राशि अदा करने हेतु भी तत्परता दिखाई लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने तथा कृषि कार्य कर सके लेकिन अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से रास्ता देने से मना कर दिया। अप्रार्थीगण भी खसरा संख्या 344 से होते हुए अपने खेत खसरा संख्या 339 व 340 में प्रवेश करते है तथा प्रार्थी भी खसरा संख्या 344 से होते हुए 341 के मुहाने से खसरा संख्या 340 व 339 में प्रवेश करता है तथा पूर्वी माठ के सहारे सहारे अपने खेत खसरा संख्या 337/1 में प्रवेश करता है उक्त रास्ते को नजरी नक्शे में प्रार्थी ने मार्क एबीसीडी से दर्शित किया है उक्त नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग है। संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के पास नहीं है जिससे कि वह अपने खेत में कृषि कार्य कर सके तथा अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये रास्ते को देने से प्रार्थी को मना कर दिया है इसलिए प्रार्थी के पास श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।वादग्रस्त रास्ता जो कि संलग्न नजरी नक्शे में स्थित हैं वह ग्राम चांकलिया की राजस्व सीमा में है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण ग्राम बांकलिया के निवासी है तथा उक्त प्रार्थना पत्र को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को प्राप्त है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खसरानम्बर 337/1 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 339 व खसरा नम्बर 340 की पूर्वी माठ के सहारे–सहारे 20 फिट चौड़ाई में संलग्न नजरी नक्शे

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा शहर (जोधपुर)

अनुसार मार्क एबीसीडी भूमि को गैर मुमकिन रास्ता घोषित किये जाने के आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के प्रावाधानो के अनसार फरमावें जावें व राजस्व रेकर्ड में उक्त घोषित किये जाने वाने रास्ते की तरमीम व नामान्तरण इन्द्राज करने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को फरमावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 1 से 18 की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया, एवं अप्रार्थी सं. 20, 21 के सम्मन बाद तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 1 से 18 की ओर वकील बख्तावर सिंह जाखड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है कि ग्राम बांकलिया की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 337/1 रकबा 0.3721 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुद जमीन हैं। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 337/1 व कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 344 के मध्य खसरा नम्बर 334 आया हुआ है तथा गै.मु.कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 334 मे से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 337/1 में आने जाने हेतु निकटतम व सुविधाजनक रास्ता है जिसका प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख नही किया हैं। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गै.मु कटाणी रास्ता खसरानम्बर 344 व प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 337/1 के मध्य अप्रार्थीगण के खेता खसरा नम्बर 340, 339 नही आते है। प्रार्थी में माननीय न्यायालय हाजा को गुमराह में रखकर उक्त अधिनियम का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के हैं। प्रार्थी कभी भी अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 339, 340 में से पूरब माठ सहारे–सहारे अपने खेत खसरा नम्बर 337/1 में नही आता जाता है । बल्कि खसरा नम्बर 344 गै.मु.कटाणी रास्ता खसरा नम्बर 344 के उत्तर पश्चिम कोने पर बन्द हो जाता है । चूंकि इस अधिनियम के तहत गै.मु.कटाणी रास्ता से प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु निकटतम रास्ता ही दिया जाने का प्रावधान हैं। इसलिए खसरा नम्बर 344 गै.मु.कटाणी रास्ता से खसरा नम्बर 334 में से पश्चिमी तरफ से होकर प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 337/1 तक निकटतम सुविधाजनक रास्ता है । उक्त रास्ता हेतु मौका मुआयना भी नही किया गया जिसके लिए प्रार्थी ने कमिश्नर रिपोर्ट पर आपत्ति पेश कर दी हैं। प्रार्थी राजनैतिक प्रभावशाली व्यक्ति है जो अप्रार्थीगण के खेत को खुर्द बुर्द करना चाहते है इसलिए मिथ्या नजरी नक्शा के द्वारा रास्ता दर्शाकर प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के हैं। प्रार्थी ने दिनांक 25.02.2020 को अप्रार्थीगण से कोई बातचीत नही की थी, बल्कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 334 के खातेदारान से खसरा नम्बर 344 गै.मु.कटाणी रास्ता से

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, जवाब वकील अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम बांकलिया के खसरा नम्बर 337/1 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 339, 340, मेंसे सबसे निकटतम व सुलभतम रास्ता मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु सं. ABC दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः राजस्व ग्राम बांकलियां के खसरा नम्बर 337/1 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 339, 340 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाये लाल स्याही से मार्क ए बी सी कुल क्षैत्रफल 0.0432 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान कुल मालियत राशि रूपये 6401/– बनती है, जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 12802/– रूपये बनती है । प्रार्थी राशि 12802/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी/राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावें।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 12802/– रूपये का चैक/डी.डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आश्य की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर